

मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर।
जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र०सं०	विन्दु	विन्दुवार सूचना
(i)	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	<p>सूचना –जन स्वस्थ से संबंधित सभी मूलभूत सुविधायें जन सामान्य तक निःशुल्क उपलब्ध कराना, जिसका विस्तार तहसील तथा ब्लाक स्तर पर प्रा०स्वा०केन्द्र तथा सामु०स्वा०केन्द्र तथा ग्राम स्तर तक ए०एन०एम० (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) द्वारा संचालित उपकेन्द्रों तक शासन द्वारा किया गया है।</p> <p>शासन के निर्देशानुसार विशेष रूप से निम्न योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गर्भवती माताओं का टीकाकरण, शिशुओं को छः जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिये नियमित टीकाकरण, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मलरिया एवं वेक्टर वार्न बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्यक्रम, क्षय नियंत्रण कार्यक्रम(डाटस), राष्ट्रीय जन्म मृत्यु कार्यक्रम, खाद्य अपमिश्रण कार्यक्रम, औषधि अपमिश्रण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसेमं पुरुष तथा महिला नबंसदी के स्थायी उपाय, एन०एस०बी०, (बिना चीरा टॉके के पुरुष नसबंदी), पी०एन०डी०टी० हैं। उपरोक्त से संबंधित सभी आंकड़ों को संकलित करके सूचनायें मासिक एवं वार्षिक रूप से उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं।</p>
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य	अधिकारियों एवं कर्मचारियों राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न होते हैं।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्वों का माध्यम सम्मिलित है।	क्रम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला क्षयरोग अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला दृष्टिहीनता निवारण अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतिरक्षण / आर०सी०एच०/ परिवार कल्याण, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा०स्वा०केन्द्र , प्रस्वोत्तर केन्द्र, महिला चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय, एवं अन्य चिकित्सालय, कर्मचारियों के अन्तर्गत, औषधि निरीक्षक मुख्य खाद्य निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, जिला प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी।
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	मुख्य चिकित्साधिकारी, नियंत्रण अधिकारी का पद सृजित है, जिनके नियंत्रण में रहकर सभी विभागीय अधिकारी

		/ कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख,	संस्था द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला क्षयरोग अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला दृष्टिहीनता निवारण अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतिरक्षण / आर०सी०एच०/ परिवार कल्याण, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा०स्वा०केन्द्र , प्रस्वोत्तर केन्द्र, महिला चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय, एवं अन्य चिकित्सालय, कर्मचारियों के अन्तर्गत, औषधि निरीक्षक मुख्य खाद्य निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, जिला प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी , चिकित्साधिकारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं।, जिनके द्वारा शासनरदेश एवं पूर्व प्रेषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हैं। अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
(vii)	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	इस संस्था का जिलाधिकारी के निर्देशन में तथा जिला स्तर की कमेटियाँ जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते हैं, कर्मचारियों को अनुमोदित कराया जाता है।
(viii)	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकाओं के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों, और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय /सुझाव लिये जाते हैं तदनुसार कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के अधिकारी/ कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करते हैं।
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके अपने विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक आंकड़े, उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र०लखनऊ, महानिदेशक प०क०, प०क० महानिदेशालय उ०प्र०लखनऊ, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० उ०प्र०शासन लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते हैं।

(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	इस संस्था को बजट जिला योजना, राज्य योजना एवं महानिदेशक प0क0/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्तर से उपलब्ध कराया जाता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के व्यौरे सम्मिलित हैं।	सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत नियमानुसार लाभार्थियों को देय धनराशि उपलब्ध करायी जाती है, जिसका व्यौरा जिलाधिकारी, अपर निदेशक एवं प्रदेश स्तर के विभागीय राष्ट्रीय कार्यक्रम के उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है।
(xiSi i)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ।	शासन के निर्देशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग से संधित लाभार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए स्वास्थ्य शिविर, नबंसदी शिविर, प्रदर्शनी, गोष्ठियाँ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों आयोजित किये जाते हैं।
(xiv)	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में व्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	संस्था द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती हैं, आवश्यकतानुसार प्रिंट मीडिया में प्रचार प्रसार कराया जाता है।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपभोग के लिए अनुरक्षित हैं, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
(xvi)	जन सूचनाधिकारियों के नाम, पद नाम एवं अन्य विशिष्टियाँ	डा0दिनेश कुमार मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0श्यामवीर सिंह जिला क्षयरोग अधिकारी बिजनौर, डा0एम0पी0सिंह जिला कुष्ठ अधिकारी बिजनौर डा0सुरेशचन्द्र जौहरी जिला दृष्टिहीनता निवारण अधिकारी बिजनौर, डा0वेदपाल सिंह विवेकी जिला कुष्ठ अधिकारी बिजनौर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, डा0अशोक कुमार उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिरक्षण, डा0एम0पी0सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अधीक्षक सामु0स्वा0केन्द्र एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी, महिला चिकित्सालय, प्रस्वोत्तर केन्द्र , राजकीय चिकित्सालय विकास खण्ड स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0स्वा0केन्द्र हैं। ,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बिजनौर।

शासनादेश संख्या 556 / 43-2-2008-15(3)2007 टी0सी0 दिनांक 6-6-08
का संलग्नक

कार्यालय का नाम – मुख्य चिकित्साधिकारी बिजनौर।

क्र० सं०	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन /अधीनस्थ कार्यालय / सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ परिषद/ बोर्ड/ स्थान का नाम	अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाईट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय बिजनौर	32	0	0

मुख्य चिकित्साधिकारी,
बिजनौर।